

- 3 नियन्त्रक कोर्ट कीस पर है ।
- 4 प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
- 5 प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं ।
- 6 पर्याप्त हेतुक दर्गाया गया है ।
- 7 वाद पक्ष के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रोमान की सेवामें पेश है ।

०२

हस्ताक्षर लिपिक

19-9-19 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली वाले जवाब दिनांक 15-10-19 का पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

15-10-19 पत्रावली पेश हुई । वकील वाकी उपाध्याय वकील
क.। स्वयं उप. वकीलवादी क. 2 कावर्ड मुचला
के द्वारा 2 दिन से इनके विरुद्ध सब पत्रावली का पेशा
आव मिल गई पत्रावली 6-11-19 का पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6-11-19 पत्रावली पेश हुई । वकील वाकी उपाध्याय वकील
साक्ष्य वादी फिकारं 21-11-19 को पेश हो ।

21-11-19 पत्रावली पेश हुई । साक्ष्य वादी उपाध्याय वकील
वाले साक्ष्य वादी दिनांक 3-12-19 को पेश हो ।

3-12-19 पत्रावली पेश हुई । साक्ष्य वादी उपाध्याय वकील
वाले साक्ष्य वादी फिकारं 17-12-19 को पेश हो ।

17-12-19 पत्रावली पेश हुई । वकील वाकी उपाध्याय वकील
इन्ड. उपाध्याय पत्रावली ने समय पर पेशावाज फिकारं के साथ
पत्रावली अपन हाथी सब अपन पेशी करके पेश की
जाती है । पत्रावली फिकारं हुआ होगा सब साक्ष्य
काम हो ।